# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2019

दायर दिनांकः 06.09.2019

निर्णय दिनांक 20.02.2020

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द

**प्रार्थी**

—:बनामः—

श्री लाल सिंह, उचित मूल्य दूकानदार, धोरण, ग्रा0पं0 मोरचा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश) 1976, केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलींग प्राईज) आदेश 1993 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2015 के तहत 79 क्विंटल गेहूँ, 110 लीटर केरोसीन एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी घोषित स्टॉक से अधिक पाये जाने से जब्त सरकार कर राजसात (Conficate) करने बाबत।**

---

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार प्रार्थी

2— अप्रार्थी का पुत्र श्री निमितसिंह उपस्थित।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 20.08.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 30.07.2019 को वक्त जाचॅ कुल 533 गेहूँ के भरे कटटों में कुल 266.5 क्विंटल गैहूँ एवं 330 लीटर केरोसीन एवं 02 क्विंटल लेवी चीनी मौके पर दूकान एवं प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से अन्यत्र स्थान पर पायी गयी, जबकि रेकार्ड अनुसार वक्त निरीक्षण 200.22 क्विंटल गैहूँ एवं 220 लीटर केरोसीन पाया जाना था। इस प्रकार डीलर के पास 66.28 क्विंटल गेंहूँ एवं 110 लीटर केरोसीन वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया। उक्त पाए गए

समस्त स्टॉक में से राशन डीलर लालसिंह द्वारा प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से अन्यत्र स्थान पर खुले बाजार में कालाबाजारी की नीयत से 158 कट्टो में 79 क्विंटल गेहूँ एवं 02 कट्टो में 01 क्विंटल लेवी चीनी को संग्रहित किया गया। उपरोक्त 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाये गये जिसे मौके पर जब्त कर श्री बब्बर सिंह, उचित मूल्य दूकानदार, मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त जब्तशुदा 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी के पुत्र श्री निमितसिंह ने उपस्थिति दी और दिनांकः 03.02.2020 को जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने योग्य होना बताया गया।

अप्रार्थी का पुत्र श्री निमितसिंह उपस्थित। पेरोकार सरकार की मेरिट पर बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि दिनांक 30.07.2019 को वक्त जाचॅ कुल 533 गेहूँ के भरे कटटों में कुल 266.5 क्विंटल गैहूँ एवं 330 लीटर केरोसीन एवं 02 क्विंटल लेवी चीनी मौके पर दूकान एवं प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से अन्यत्र स्थान पर पायी गयी, जबकि रेकार्ड अनुसार वक्त निरीक्षण 200.22 क्विंटल गैहूँ एवं 220 लीटर केरोसीन पाया जाना था। इस प्रकार डीलर के पास 66.28 क्विंटल गेंहूँ एवं 110 लीटर केरोसीन वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया। उक्त पाए गए समस्त स्टॉक में से राशन डीलर लालसिंह द्वारा प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से अन्यत्र स्थान पर खुले बाजार में कालाबाजारी की नीयत से 158 कट्टो में 79 क्विंटल गेहूँ एवं 02 कट्टो में 01 क्विंटल लेवी चीनी को संग्रहित किया गया। उपरोक्त 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाये गये जिसे मौके पर जब्त कर श्री बब्बर सिंह, उचित मूल्य दूकानदार, मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त जब्तशुदा 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन मनन् किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी निरीक्षण दल रसद द्वारा की गयी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जांच में कालाबाजारी की नियत से अवैध रुप से पाया गया और उक्त नीला केरोसीन जब्त कर श्री बब्बर सिंह, उचित मूल्य दूकानदार, मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अप्रार्थी की ओर से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के खण्डन में बताया कि पोस मशीन खराब होने से राशन बांटने के लिए अन्य डीलर की मशीन लेकर आये थे। व उसमें मई व जून का राशन एक साथ पोस मशीन में वितरण कर दिया, जिसमें मई का राशन उनके परिवार कार्ड में दर्ज कर लाभार्थियों को दे दिया था। तथा जून का देना बकाया था, जौ मौके पर अधिक पाया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता हैं कि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशन का अवैध रुप से कालाबाजारी की नियत से रखा गया था जो कि राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश) 1976 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 का भी उल्लंघन हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी को राजसात किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

**::आदेश::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 110 लीटर केरोसीन, 79 क्विंटल गेहूँ एवं 01 क्विंटल लेवी चीनी को राजसात किया जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी,राजसमंद को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त जब्तशुदा राशन को नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जावें।

**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमन्द**

**निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।**

**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमन्द**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)